

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/स.स.-पं.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2020/186/ जयपुर,दिनांक 23/09/2020

:: आ दे श ::

श्री हेमराज मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगंज, जिला बांरा अधीनस्थ सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.09.2020 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री हेमराज मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, के विरुद्ध आज तक:-


- (1) विभागीय ज्ञापन क्र. 1731 दिनांक 17.09.2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन विभागीय जाँच विचाराधीन है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांरा को उनके पत्र क्रमांक 1244-46 दिनांक 15.09.2020 के क्रम में।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगंज, जिला बांरा।
5. श्री हेमराज मीणा, अति. विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगंज, जिला बांरा।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)